

परियोजना का नाम :- सौंग 1, 2,3 एवं जाखन 1 एवं 2 से उपखनिज चुगान

पूर्व में स्वीकृति का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की पत्र संख्या F.No. 8-62/99-FC दिनांक 26.5.2009 व उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 2171/VII-1/123- ख/2011 दिनांक 14.11.2011 एवं पत्रांक 59/VII-1/123- ख/2011 दिनांक 16 मार्च 2017 द्वारा निम्नलिखित नदियों में उपखनिज चुगान की अनुमति प्रदान की गयी है:-

क्र०सं०	नदी का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्षेत्रफल	प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	सौंग 1	225.00 है०	202 है०
2	सौंग 2	273.00 है०	136.85 है०
3	सौंग 3	270.00 है०	93.50 है०
4	जाखन 1	195.00 है०	99.95 है०
5	जाखन 2	100.00 है०	96.50 है०
	योग	1063.00 है०	628.80 है०

उक्त नदियां देहरादून वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ती है। सौंग 1, 2, 3 एवं जाखन 1, 2 नदियों के आगामी 10 वर्षों हेतु उपखनिज चुगान का प्रस्ताव 628.80 है० का बनाया जा रहा है।

(2023 को लाया)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास विभाग
देहरादून
देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
लच्छीवाला रेंज
देहरादून वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
बड़फांट रेंज
देहरादून वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
थानो रेंज
देहरादून वन प्रभाग